



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61443-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 9201 वर्ष 2026

प्रिंस बाथम

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नीरज श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., कौशलेंद्र नाथ सिंह

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री देवेश विक्रम, और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र नाथ सिंह की दलीलें सुनीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

ए. दिनांक 25.04.2023 को नोएडा के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

बी. याचिकाकर्ता को उसकी संबंधित जगह पर छोटी दुकानें चलाने से रोकने और परेशान न करने का निर्देश देने के लिए परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

सी. याचिकाकर्ता को उसकी दुकान पर कब्जा करने की अनुमति देने और किसी भी प्रकार से उसे जबरन बेदखल या विस्थापित न करने का निर्देश देने के लिए परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

डी. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्याय के हित में, माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाला कोई अन्य और उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ई. याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तय की जाती है।”

3. याचिकाकर्ता, जो एक स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 (संक्षेप में 'अधिनियम 2014') के तहत, उत्तर प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) नियम 2018 के नियम 12 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, वेंडिंग क्षेत्र के आवंटन का दावा करता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता एक सड़क विक्रेता है और प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उसने सर्वेक्षण के अनुसार निर्धारित बिक्री क्षेत्र में ही बिक्री की है। उन्होंने दिनांक 01.05.2024 के आदेश पर भरोसा जताया है, जिसे पूरक हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाया गया है। उनका कहना है कि उक्त आदेश रिट याचिका संख्या 32279/2022 (रतन यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 31.10.2022 को पारित आदेश के जवाब में पारित किया गया था और याचिकाकर्ता का दावा 2014 के अधिनियम के अंतर्गत आता है।

5. इसके विपरीत, नोएडा प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र नाथ सिंह ने रिट याचिका का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अधिनियम 2014 के अनुसार सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में 7652 विक्रेता कार्यरत थे, जिनमें से 4936 व्यक्तियों को पहले से ही वेंडिंग ज़ोन में स्थान आवंटित किए जा चुके थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सर्वेक्षण के समय याचिकाकर्ता वेंडिंग ज़ोन में काम नहीं कर रहा था। प्राधिकरण का पहला प्रयास शेष विक्रेताओं को वेंडिंग ज़ोन में पुनर्स्थापित करना है और उसके बाद नया सर्वेक्षण किया जाएगा, तभी नए क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा।

6. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज करने का कोई कारण नहीं मिलता है और श्री कौशलेंद्र नाथ सिंह की आपत्ति उचित है। यह हमेशा अपेक्षित होता है कि प्राधिकरण उन विक्रेताओं को भुगतान करे, जो सर्वेक्षण में पाए जाते हैं और वास्तव में सड़क किनारे व्यापार कर रहे हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम विवादित आदेश को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता उचित समय पर अधिनियम, 2014 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

25 मार्च, 2026

एनएलवाई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।